

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक-08/03/2019

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रु० 65,10,000/- (रुपये पैसठ लाख दस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड-20-2210011100021 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में वेतनादि एवं अन्य मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रु० 65,10,000/- (रुपये पैसठ लाख दस हजार) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2356/वि0(2), दिनांक-12.04.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0021-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंसेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210011100021 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

Q

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
8. इस राशि की निकासी कोषागार, राजगीर (नालन्दा) से की जाएगी।
9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/व0आ0सं0अ0-01/2018- 115(1)क/स्वा0, पटना, दिनांक-08/03/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, राजगीर (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज अस्पताल, पावापुरी, विपत्र कोड-20-2210011100021 को वित्तीय वर्ष
2018-19 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	अद्यतन कुल बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0021.01.01 वेतन	40000000	5000000	45000000	40000000	5000000	45000000	0
0021.01.03 जीवन यापन भत्ता	40000000	6000000	46000000	40000000	6000000	46000000	0
0021.01.04 मकान किराया भत्ता	65000000	5000000	70000000	65000000	5000000	70000000	0
0021.01.05 परिवहन भत्ता	30000000	1500000	31500000	30000000	1500000	31500000	0
0021.01.06 चिकित्सा भत्ता	30000000	1500000	31500000	30000000	1500000	31500000	0
0021.01.07 अन्य भत्ता	24100000	1000000	25100000	24100000	1000000	25100000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	589100000	65000000	654100000	589100000	65000000	654100000	0
0021.13.05 विधि प्रभार	1000	10000	11000	1000	10000	11000	0
कुल योग :-	589110000	65100000	654210000	589110000	65100000	654210000	0

(रुपये पैंसठ लाख दस हजार)

(Signature)

सरकार के विशेष सचिव

11/5/19 (1) अति
61028-30-0-0800